रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 427] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 16, 2017/माघ 27, 1938
No. 427] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 16, 2017/MAGHA 27, 1938

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2017

का.आ. 470(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, उनमें पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है ;

और भारत सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय, और केन्द्रीय और राज्य दोनों या संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर महिलाओं के लिए स्कीमों और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण को सुकर बनाने के लिए राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन की स्कीम का प्रशासन कर रहा है । यह स्कीम राज्य महिला संसाधन केन्द्र (एसआरसीडब्ल्यू), पूर्ण शक्ति केन्द्र (पीएसके), परियोजनाएं ग्राम अभिसरण और सुविधा सेवा (वीसीएफएस) जिन्हें संविदात्मक कर्मचारीवृंद द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, के माध्यम से राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है;

और राज्य महिला संसाधन केन्द्र (एसआरसीडब्ल्यू), पूर्णशक्ति केन्द्र (पीएसके), और ग्रामीण अभिसरण और सुविधा सेवा (वीसीएफएस) में संविदात्मक कृत्यकारियों जैसे राज्य परियोजना समन्वयकों, लिंग विशेषज्ञ, प्रशिक्षण विशेषज्ञ, अनुसंधान अधिकारियों, सहायकों, जिला समन्वयकों, आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालकों जिला स्तर पर सहायक कर्मचारिवृंद तहसील या ब्लाक समन्वयकों, ग्राम समन्वयकों जैसे संविदात्मक कृत्यकारियों द्वारा प्रदान की जाती हैं और ये कृत्यकारी ऐसे अवैतनिक कर्मकार (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) हैं, जो समाज सेवाएं

देने के लिए और अपनी सेवाओं की मान्यता स्वरूप आगे आए हैं, उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा और राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा भी फायदा के रूप में मासिक मानदेय का संदाय किया जाता है ।

और फायदाग्राहियों को फायदे के रूप में संदत्त किए जाने वाले मानदेय में भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय अंतर्वलित है ;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :--

1. (1) राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन स्कीम के अधीन फायदों के रूप में मानदेय का उपभोग करने के इच्छुक फायदाग्राहियों से यह अपेक्षित है कि वे आधार संख्यांक के कब्जे में होने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें ।

(2) राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अधीन फायदों के रूप में मानदेय का उपभोग करने के ऐसे किसी इच्छुक व्यक्ति को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेगा ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में महिला और बाल विकास विकास विभाग, जो किसी फायदाग्राही से यह अपेक्षा करता है कि वह आधार प्रस्तुत करे, से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है जिनका आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया गया है और यदि संबंधित ब्लाक या तालुक या तहसील में आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है तो वहां राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में महिला और बाल विकास विभाग यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान कर सकेंगे या रजिस्ट्रार, यूआईडीएआई बनकर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कर सकेंगे:

परंतु फायदाग्राहियों को आधार समनुदेशित किए जाने के समय तक, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन स्कीम के अधीन ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए मानदेय का संदाय किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप ; या

(ii) पैरा 2 के उपपैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) (i) बैंक या डाकघर फोटो पासबुक; या (ii) मतदाता पहचान पत्र; या (iii) राशन कार्ड; या (iv) किसान फोटो पासबुक; या (v) पासपोर्ट; (vi) या चालक अनुज्ञप्ति; या (vii) पेन कार्ड; या (viii) सरकार या किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा जारी कर्मचारी फोटो पहचान पत्र (ix) किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र; या (x) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी कोई पहचान प्रमाणपत्र, जिस पर फोटो

लगा हो; या (xi) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) या सरकारी अस्पताल द्वारा जारी स्वास्थ्य कार्ड; या (xii) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा पदाभिहित किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध मानदेय प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए भारसाधक राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में महिला और बाल विकास विभाग अपेक्षित सभी व्यवस्थाएं करेगा जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, अर्थात्:-

(1) स्थानीय मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन स्कीम को कार्यान्वित करने के भारसाधक राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय/आंगनवाड़ी केन्द्र/ महिला और बाल विकास विभाग के माध्यम से आवश्यक अनुदेश और व्यष्टिक सूचनाएं राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन स्कीम के भावी फायदाग्राहियों को दी जाएंगी जिससे कि उनको स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षा के बारे में जागरूक बनाया जा सके और उन्हें अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केन्द्रों पर आधार के लिए स्वयं को नामांकित करवाने के लिए सलाह दी जा सके, यदि उनका पहले से नामांकन नहीं किया गया है। स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उनको उपलब्ध करा दी जाएगी।

(2) यदि फायदाग्राही, ब्लाक या तहसील या तालुक में आधार नामांकन केंद्रों की अनुपलभ्यता के कारण आधार के लिए नामांकन कराने में असमर्थ हैं तो राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन स्कीम के कार्यान्वयन के भारसाधक राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में महिला और बाल विकास विभाग से अपेक्षा की जाती है कि वह सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाएं सृजित करें और फायदाग्राही से अनुरोध किया जाए कि वे बाल विकास परियोजना अधिकारी, आदि के पास पैरा 1 के उप पैरा (3) के परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य ब्यौरे देकर आधार के लिए नामांकन हेतु अपने अनुरोध को रजिस्टर करें

3. यह अधिसूचना, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के सिवाय सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एन एम ई डब्ल्यू/602/2016-प्रशासन(एन एम ई डब्ल्यू)]

चेतन बी. सांघी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2017

S.O. 470(E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Women and Child Development in the Government of India is administering the scheme of National Mission of Empowerment of Women (hereinafter referred to as NMEW) to facilitate inter-sectoral convergence of schemes and programmes meant for women both at the Central and State or Union Territory level. The scheme is implemented by the State Governments and Union Territory Administrations through the State Resource Centre for Women (SRCW), Poorna Shakti Kendra (PSK) projects, Village Convergence and Facilitation Service (VCFS) which are executed by contractual staff;

And whereas, the services at State Resource Centre for Women (SRCW), Poorna Shakti Kendra (PSK), and Village Convergence and Facilitation Service (VCFS) are provided by the contractual functionaries like State Project Coordinators, Specialist Genders, Specialist Trainings, Research officers, Assistants, District Coordinators, Data Entry Operators, Support Staff at District Levels, Tehsil or Block Coordinators, Village Coordinators, etc and these functionaries are honorary workers (hereinafter referred to as beneficiaries) who have come forward for rendering social services and in recognition of their services, they are paid monthly honorarium as benefit by the Central Government and also by the State Governments and Union Territory Administrations;

And whereas, the honorarium paid as benefit to the beneficiaries involves recurring expenditure from the consolidated fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (herein after referred to the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (1) Beneficiaries desirous of availing the honorarium as benefit under NMEW are hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any beneficiary desirous of availing the honorarium as benefit under NMEW, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to make application for Aadhaar enrolment by 31st March, 2017 provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment centre [list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Women and Child Development Department in the State Governments or Union Territory Administrations which requires a beneficiary to furnish Aadhaar is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment center located in the respective Block or Taluk or Tehsil, the Women and Child Development Department in the State Governments or Union Territory Administrations may provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or may provide Aadhaar enrolment facilities by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the beneficiaries, honorarium under the NMEW scheme shall be given to such individual subject to the production of the following identification documents, namely:—

(a) (i) if he/she has enrolled her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his/her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and

(b) (i) Bank or Post Office photo passbook; or (ii) Voter ID Card; or (iii) Ration Card; or (iv) Kisan Photo Passbook; or (v) Passport; or (vi) Driving License; or (vii) PAN Card; or (viii) Employee Photo Identity Card issued by the Government or any Public Sector Undertaking; or (ix) Any other Photo Identity Card issued by State Governments or Union Territory Administration; or (x) Certificate of identity with photograph issued by a Gazetted Officer on official letterhead; or (xi) Health Card issued by Primary Health Centre (PHC) or Government Hospital; or (xii) any other document specified by the State Government or Union Territory Administration:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by State Government or Union Territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free honorarium to the beneficiaries, the Women and Child Development Department in the State Governments or Union Territory Administrations in charge of implementing NMEW scheme, shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(1) Wide publicity through local media, necessary instructions and individual notices through the offices of Child Development Project Officer/Anganwadi Centres/ Women and Child Development Department in the State Governments or Union Territory Administrations in charge of implementing NMEW scheme shall be given to the prospective beneficiaries of the NMEW Scheme to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled for Aadhaar at the nearest Aadhaar enrolment centers available in their areas, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case beneficiaries are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of Aadhaar enrolment centres in the Block or Tehsil or Taluka, the Women and Child Development Department in the State Governments or Union Territory Administrations in charge of implementing NMEW Scheme is required to create enrolment facilities for Aadhaar at convenient locations and the beneficiaries may be requested to register their request for enrolment for Aadhaar by giving their name, address, mobile number and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the Child Development Project Officer, etc.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all States and Union Territories except the State of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. NMEW/602/2016-ADMN (NMEW)]

CHETAN B. SANGHI**,** Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.02.21 15:18:05 +05'30'